<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>12.01.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसके तहत 2.66 करोड़ रुपये मूल्य की **आठ अचल संपत्तियों** (भूमि पार्सल और आवासीय फ्लैट) को कुर्क किया गया है। ये संपत्तियां अभियुक्तों, श्रीमती सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्रकार द्वारा अनुसूचित अपराधों, अर्थात् अवैध कोयला शुल्क वसूली और अन्य जबरन वसूली गतिविधियों से प्राप्त अपराध की आय से अपने रिश्तेदारों के नाम पर अधिग्रहित की गई थीं।

ईडी ने बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 129/2022, आयकर विभाग द्वारा दिनांक 19.06.2023 को दर्ज अभियोजन शिकायत संख्या 3167/2023 और छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला शुल्क की अवैध वसूली के मामले में रायपुर स्थित ईओडब्ल्यू/एसीबी द्वारा दिनांक 11.01.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 03/2024 के आधार पर जांच शुरू की।

जांच से पता चला है कि निजी व्यक्तियों के एक समूह ने, राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों की सक्रिय मिलीभगत से, **जुलाई 2020 से जून 2022 की अवधि** के दौरान कोयला ट्रांसपोर्टरों से **25 रुपये प्रति टन कोयले की दर से** उगाही करने का एक रैकेट बनाया था। इस अवधि के दौरान, इस गिरोह द्वारा **लगभग 540 करोड़ रुपये अवैध रूप से एकत्र किए गए** थे। जबरन वसूली से प्राप्त धनराशि, जो अपराध से अर्जित धन (पीओसी) है, का उपयोग सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने, चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने और चल एवं अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था। अब तक, **आरोपियों से संबंधित 273 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क कर लिया गया है।**

जांच के दौरान, ईडी ने **11 लोगों को गिरफ्तार किया है**, और अब तक माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष **35 आरोपियों के खिलाफ पांच अभियोजन शिकायत** दायर किए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।